


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

गणेश नारायण बनाम तहसीलदार बरसी व अन्य

केस संख्या 61/2024 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि तहसीलदार बरसी के पीठासीन अधिकारी श्री कार्तिक लाटा आरटीएस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने तहसीलदार बरसी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2022 व उनवानी रामावतार बनाम गणेश नारायण व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री कार्तिक लाटा आरटीएस से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>तहसीलदार बरसी के पीठासीन अधिकारी श्री कार्तिक लाटा आरटीएस का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p> (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)</p>	